प्रेस नोट
दिनांक 05.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में संगम से लाए गए पवित्र त्रिवेणी के जल को श्रद्धालुओं में किया गया वितरित–

गोण्डा। आज दिनांक 05.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षानुसार गोण्डा फायर सर्विस की टीम द्वारा प्रयागराज संगम से लाए गए लगभग 4,500 ली0 पवित्र त्रिवेणी के जल को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। पवित्र गंगाजल वितरण कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में अग्निशमन वाहन को लाया गया जहां पुलिस परिवार तथा आम श्रद्धालु उपस्थित होकर, पहले गंगाजल का पूजन–अर्चन किया तथा पुष्प अर्पित कर सभी लोगों द्वारा मॉ गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की गयी। पूजन–अर्चन के पश्चात पुलिस परिवार के लोग, जो ड्यूटी के कारण महाकुम्भ नहीं जा सके थे, उन सभी के परिवार तथा आम श्रद्धालु उपस्थित होकर, कतारबद्ध तरीके से सभी लोगों ने गंगाजल प्राप्त किया। गंगाजल प्राप्त कर रहे लोगों में अति प्रसन्नता के साथ मॉ गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था का भाव था। सभी श्रद्धालुओं द्वारा आस्था और उत्साह से पवित्र जल को प्राप्त किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित पुलिस के अन्य अधि0/कर्मचारीगण **मौजूद रहें।**

प्रेस नोट
दिनांक 05.03.2025

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीडितों की फ्रॉड गयी 90,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **90,000/–** (नब्बे हजार रू0) पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक कैलाश सिंह निवासी एलबीएस चौराहा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के साथ क्रेडिट कार्ड से 80000 ठगी हो जाने, आवेदक शुभम तिवारी निवासी बनवरिया थाना कोतवाली नगर गोण्डा के साथ 2800 रूपये, आवेदक निजामुद्दीन निवासी थाना वजीरगंज के साथ 4900 रू0, आवेदक अब्दुल रहमान निवासी थाना खोड़ारे के साथ 4967 रूपये, आवेदक राहुल सिंह नि0 थाना को0 नगर के साथ 2927 रूपये, आवेदक दिवाकर प्रसाद शर्मा निवासी झंझरी ब्लाक थाना कोतवाली नगर गोण्डा के साथ 2537 रूपये की ठगी हुई थी। साइबर फ्रॉड के उपरान्त पीड़ितों द्वारा इसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष की गयी थी। जिस पर साइबर सेल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ितों के 90,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 05.03.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल लाठी व लोहे की रॉड बरामद–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–82/25, धारा 115(2),352,351(3),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्याभियुक्तों–01. भोला उर्फ भोलेनाथ उर्फ रामनरेश तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी, 02. संजय उर्फ अभय तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी निवासीगण पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को सोनी गुमटी रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों की निशानदेही से आलाकत्ल लाठी व लोहे की रॉड बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.03.2025 को थाना को0 देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरी सागर मौजा महदेवा में जमीनी विवाद के चलते विपक्षीगणों द्वारा वादी विजय कुमार पुत्र स्व0 तुंगनाथ तिवारी के लड़के मनोज को लाठी–डण्डे व लोहे की रॉड से मारा–पीटा था। परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से डाक्टरों द्वारा उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां पर उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता विजय कुमार की तहरीर पर थाना को0 देहात में 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 05.03.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों–01. भोला उर्फ भोलेनाथ उर्फ रामनरेश तिवारी, 02. संजय उर्फ अभय तिवारी को सोनी गुमटी रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों की निशानदेही से आलाकत्ल लाठी व लोहे की रॉड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. भोला उर्फ भोलेनाथ उर्फ रामनरेश तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. संजय उर्फ अभय तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–82/25, धारा 115(2),352,351(3),103(1) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात।
02. प्रशि0उ0नि0 राहुल मौर्य।
03. हेड का0 करन यादव।
04. का0 बृजेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा